न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत उच्चतर न्यायिक सेवा
J.O. Code – UP1893

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1031/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या– 2980/2026
(CNR No: UPGZ010065552026)

संदीप उर्फ करेली उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री विनोद सिंह निवासी ग्राम निस्तौली, थाना टीला मोड, जिला–गाजियाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

..... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या– 32/2026
धारा–105, 115(2) बी.एन.एस.
थाना– टीलामोड़, जिला गाजियाबाद।

.....

03.06.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त संदीप उर्फ करेली की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार हरेन्द्र कुमार ने इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उसका कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा ललिता ने दिनांक 08.02.2026 को थाना टीलामोड पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि दिनांक 07.02.2026 को समय रात के 8 बजे संदीप पुत्र विनोद सिंह, आतिश मावी व संजय के द्वारा उसके ससुर राजपाल के साथ मारपीट की गयी थी जिनको ईलाज हेतु 50 शैय्या अस्पताल ले जाया गया, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गयी।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वादिनी मुकदमा द्वारा केस की प्राथमिकी से पूर्व थाना हाजा पर दिनांक 07.02.2026 को एक एन.सी.आर. 07/2026 धारा 115(2), 352 बी.एन.एस. अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत करायी थी। वादिनी द्वारा दिनांक 08.02.2026 को आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण के विरूद्ध नामित रिपोर्ट पुनः थाना हाजा पर पंजीकृत करायी है। मृतक के बाह्य व आंतरिक में कोई चोट नहीं पायी गयी है। सह अभियुक्त संजय की जमानत न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक /अभियुक्त दिनांक 10.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है। आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। उपरोक्त आधार पर जमानत की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के ससुर के साथ मारपीट की गयी और मारपीट में आयी गुम चोटों के कारण उसके ससुर की मृत्यु हो गयी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त आधार पर जमानत का कोई आधार नहीं है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क विस्तृत रूप से सुने गये। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.06.03 16:48:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

7. प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के ससुर राजपाल के साथ मारपीट की गयी और मारपीट में आयी गुम चोटों के कारण उसके ससुर की मृत्यु हो गयी। प्रारम्भ में वादिनी द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध एन.सी.आर. 07/2026 धारा 115(2), 352 बी.एन.एस. दर्ज करायी गयी,उसके उपरान्त वादिनी द्वारा पुनः थाना प्रभारी को अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख करते हुए तहरीरी प्रार्थनापत्र दिया गया। साक्षी धर्मेन्द्र ने अपने बयान में राजपाल (मृतक) के साथ मारपीट करने तथा मारपीट में गम्भीर चोटें आना कहा गया है परन्तु चिकित्सीय आख्या दिनांकित 07.02.2026 के अनुसार मजरूब/मृतक के कोई बाह्य अथवा आंतरिक चोट आना नहीं पायी गयी। बल्कि चिकित्सीय आख्या में चेस्ट पैन व सांस लेने में तकलीफ होना अंकित है। डाक्टर रोहित वर्मा द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि मृतक राजपाल ने छाती में दर्द व सांस लेने में तकलीफ बतायी थी, जिसके पश्चात उसके द्वारा मृतक को एक्सरे व अग्रिम इलाज हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था जिसके पश्चात मृतक के परिजन मृतक राजपाल को अग्रिम ईलाज हेतु हायर सेंटर ले गये थे किन्तु बीच रास्ते में मृतक की तबियत और ज्यादा खराब होने के पश्चात मृतक राजपाल के परिजन राजपाल को पुनः उनके अस्पताल वापस ले आये थे जिसका पुनः परीक्षण करने पर जानकारी हुई कि राजपाल की मृत्यु रास्ते में ही हो चुकी थी।

8. चिकित्सीय आख्या एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक को किसी प्रकार की बाह्य अथवा आन्तरिक चोट आने का उल्लेख नहीं है और न ही मृतक के बाह्य अथवा आंतरिक रक्तस्राव का ही उल्लेख किया गया है। पोस्टमार्टम आख्या दिनांकित 08.02.2026 के अनुसार मृतक की मृत्यु की सही जानकारी न होने के कारण बिसरा प्रीजर्व किया गया है। इस प्रकार मृतक की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 10.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है। सह अभियुक्त संजय की जमानत दिनांक 19.05.2026 को इस न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है।

9. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त संदीप उर्फ करेली का उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अंकन 1,00,000/–(एक लाख रूपये) रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद

दि० 03.06.2026